

फर्द अहकाम


राजनाथ बनाम कालूराव अर्थात्

नाम न्यायालय

उपरोक्त (अधिकार) मन्वलासमवाहक मन्वला

केस संख्या

68/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>अज्ञातली फौजल सुमल एकद गमल म कल दे अल्ल बाइअति साकिल इकर दे</p> <p style="text-align: right;">  उपरोक्त अधिकारी धारामगढ जिला-जयपुर </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
68/2023

तारीख दायर
08/06/2023

तारीख फैसला
21/04/2025

1. रामनाथ पुत्र भौरया आयु 74 वर्ष जाति मीना, निवासी पालेडा, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र रामसहाय
 2. मंगला पुत्र रामसहाय
 3. सीताराम पुत्र रामसहाय
 4. कबूली पत्नी रामसहाय
 5. भगवान पुत्र बिरदा
 6. लक्ष्मण पुत्र बिरदा
 7. बट्टी पुत्र रामचन्द्र
 8. शैतान पुत्र रामचन्द्र
 9. रामफूल पुत्र रामचन्द्र
- जातियान मीना निवासी पालेडा, बादल्यावाली ढाणी, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।
 11. उप पंजीयक जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री महेश शर्मा :- वकील वादीगण।

श्री रामकरण शर्मा :- वकील प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

:- निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड0 श्री महेश शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 4.1981है0, खसरा नम्बर 230 रकबा 0.0885है0 खसरा नम्बर 229 रकबा 0.0379है0 स्थित ग्राम पालेडा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से तथा कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 04.07.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

प्रतिवादी ने आपत्ति कुर्रैजात जवाब न देकर सीधी बहस की। वकील उभय पक्षों की आपत्ति कुर्रैजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया जाकर आपत्ति कुर्रैजात खारिज की गई।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पालेडा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
रामनाथ पुत्र भौरया हि० 1/5 राहिन बैक आफ बडौदा शाखा कूकस, लक्ष्मण, भगवाना, रामचन्द्र पि० बिरदा हि० 3/5, कबूली पत्नि रामसहाय, कलूराम, मंगला, सीताराम पि० रामसहाय हि० 1/5 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	229	0.0379	गै.मु.चाह	—
	230	0.0885	चाही 2	1.53
	231	4.1981	चाही 2	47.20
			2.7313	
			चाही 3	6.87
			0.6070	0.08
		बंजड डोल		
		0.0632		
		बारानी ए	3.43	
		0.7966		
योग	किता 3	4.3245	—	59.11

—: प्रस्तावित :-

सं०	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
	रामनाथ पुत्र भौरया जाति मीणा सा०देह खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा कूकस	231/1	0.6480	चाही 2	—
	योग	किता 1	0.6480	—	1-
	लक्ष्मण पुत्र बिरदा हि० 1/3, भगवाना पुत्र बिरदा हि० 1/3, रामचन्द्र पुत्र बिरदा हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार	231/2 231/3	1.1000 0.8400	चाही 2 चाही 2	—
	योग	किता 2	1.9400	—	—
3	कबुली पत्नि रामसहाय हि० 1/4, कालूराम पुत्र रामसहाय हि० 1/4, सीताराम पुत्र रामसहाय हि० 1/4, मंगला पुत्र रामसहाय हि० 1/4 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	231/4	0.1433 0.5047	चाही 2 चाही 3	—
	योग	किता 2	0.6480	—	1-
4	शामलात	229 230 231/5	0.0379 0.0885 0.9621	गै.मु.चाह चाही 2 चाही 3 0.1023 बारानी	—

सफखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-ज

प्रतिवादी ने आपत्ति कुर्रेजात जवाब न देकर सीधी बहस की। वकील उभय पक्षों की आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया जाकर आपत्ति कुर्रेजात खारिज की गई।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पालेडा, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
रामनाथ पुत्र भौरया हि० 1/5 राहिन बैक आफ बडौदा शाखा कूकस, लक्ष्मण, भगवाना, रामचन्द्र पि० बिरदा हि० 3/5, कबूली पत्नि रामसहाय, कलूराम, मंगला, सीताराम पि० रामसहाय हि० 1/5 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	229	0.0379	गै.मु.चाह	—
	230	0.0885	चाही 2	1.53
	231	4.1981	चाही 2	47.20
			2.7313	6.87
			चाही 3	0.6070
		बंजड	0.08	
		डोल	0.0632	
		बारानी ए	3.43	
		0.7966		
योग	किता 3	4.3245	—	59.11

—: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
रामनाथ पुत्र भौरया जाति मीणा सा०देह खातेदार राहिन बैक ऑफ बडौदा शाखा कूकस	231/1	0.6480	चाही 2	—
योग	किता 1	0.6480	—	1-
लक्ष्मण पुत्र बिरदा हि० 1/3, भगवाना पुत्र बिरदा हि० 1/3, रामचन्द्र पुत्र बिरदा हि० 1/3 जाति मीणा सा०देह खातेदार	231/2	1.1000	चाही 2	—
	231/3	0.8400	चाही 2	—
योग	किता 2	1.9400	—	—
कबूली पत्नि रामसहाय हि० 1/4, कालूराम पुत्र रामसहाय हि० 1/4, सीताराम पुत्र रामसहाय हि० 1/4, मंगला पुत्र रामसहाय हि० 1/4 जाति मीणा सा०देह खातेदार।	231/4	0.1433	चाही 2	—
		0.5047	चाही 3	—
योग	किता 2	0.6480	—	1-
शामलात	229	0.0379	गै.मु.चाह	—
	230	0.0885	चाही 2	—
	231/5	0.9621	चाही 3	—
		0.1023	—	
		बारानी	—	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-ज

			ए 0.7966 बंजड डोल 0.0632	
	योग	किता 3	1.0885	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुकम इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर जिला-जयपुर